भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2113

08 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

विशेष श्रेणी के इस्पात का आयात

2113. श्री सी.पी. जोशी:

श्री मनोज तिवारी:

श्री संगम लाल गुप्ता:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेष श्रेणी के इस्पात के आयात पर निर्भरता में कोई गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो देश में विशेष श्रेणी के इस्पात का निर्माण शुरू करने के लिए क्या विभिन्न प्रयास किए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विशेष श्रेणी के इस्पात की घरेलू माँग की तुलना में आयात का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ग): विगत तीन वर्षों में विशेष ग्रेड के इस्पात सहित सभी ग्रेडों के तैयार इस्पात के आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	तैयार इस्पात का आयात	तैयार इस्पात की माँग
2018-19	7.84 एमटी	98.71 एमटी
2019-20	6.77 एमटी	100.17 एमटी
2020-21 (जनवरी, 21 तक*)	3.79 एमटी	74.94 एमटी

(स्रोत: जेपीसी; * अनंतिम)

इस्पात उद्योग एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और किन्हीं इस्पात ग्रेडों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के संबंध में कंपनी विशेष द्वारा तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) दिनांक 08 मई, 2017 को अधिसूचित राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में कार्यनीतिगत अनुप्रयोगों के लिए इस्पात तथा उच्च-ग्रेड ऑटोमोटिव इस्पात, विद्युत इस्पात, विशेष इस्पात और मिश्र धातु की समस्त माँग को स्वदेशी रूप से पूरा किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ii) 'स्वदेशी विनिर्मित लोहा और इस्पात उत्पाद नीति (डीएमआईएंडएसपी)' को स्वदेशी रूप से उत्पादित इस्पात के उत्पादन एवं खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है।

(iii) सरकार ने इस्पात और इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को जारी किया है, जिनके जरिए इसने 145 लोहा और इस्पात उत्पादों के लिए अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन का निर्देश दिया है।

(iv) सरकार द्वारा हाल में घोषित उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में 'विशिष्ट इस्पात (स्पेशियलटी स्टील)' शामिल है।

****